

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज०)
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61/अपील/2019	16.07.2019	05.11.2019

हरिशंकर शर्मा आ. श्री राम गोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दबलाना
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) - अपीलांत

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज०)
- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2019

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 रा० उपनिवेशन अधिनियम 1954

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांतस की ओर से - श्री शम्भूदयाल, अभिभाषक।
रेस्पोजेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 893 रकबा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बेदखली, पैनाल्टी 1000/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्तस. व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांतस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें हरिशंकर के पिता का नाम गोपाल अंकित होने से तामील नहीं हुआ है और तामील कुनिन्दा ने अपीलान्ट के पिता का नाम गलत होने से तामील नहीं करवाई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को गैर हाजिर मानकर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवाई के अवसर से वंचित रखा गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 1988 से यानि 31 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट के कब्जे के पूर्व उनके पिता का कब्जा चला आ रहा था। इसके बाद अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा है। अपीलान्ट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है। अपीलान्ट ने कोई राजस्व रेकार्ड या अन्य साक्ष्य पेश नहीं किये है। जिससे अपीलान्ट का वर्षों पुराना कब्जा साबित होता हो। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसका विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा काश्त है। अतः राज्य सरकार के आदेशानुसार विवादित भूमि आवास गृह व जानवरो के बाड़े के लिये नियमन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। लेकिन अपीलान्ट का वर्षों पुराना कब्जा काश्त होने बाबत् कोई साक्ष्य व दस्तावेज अपील के साथ

A6
3

अपीलान्ट ने पेश नहीं किये हैं। जिससे अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलान्ट को गत वर्ष भी बेदखल किया गया था। जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। विवादित भूमि नियमन की श्रेणी में नहीं आती है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)